

मुरगांव पत्तन न्यास
वित्त विभाग

संदर्भ स. एफए/सीए/पी.3/2019/333

दिनांक : 09/07/2019

परिपत्र


विषय: जुलाई, 2019 से सितम्बर 2019 तक की अवधि के लिए डी. ए. की तिमाही संशोधित प्रतिशत.

मंत्रालय के पत्र सं.29018/5/2006-पीई-1 दि. 26/07/2010, ए-29018/5/2006-पीई-1 दि.18/02/2011 और दि. 19/01/2010 और दि. 25/10/2013 के समझौता जापन के अनुसरण में एआईसीपीआई तिमाही इन्डेक्स औसत 126/198, जिससे संशोधित वेतनमान संबंधित हैं, के आधार पर जुलाई, 2019 से सितम्बर 2019 तक प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दर, निम्नवत हैं:-

In pursuance of Ministry's letters no. A-29018/5/2006-PEI dated 26th July, 2010, A-29018/5/ 2006-PEI dated 18/02/2011 and Memorandum of Settlement dated 19/01/2010 & 25/10/2013, the rate of Dearness Allowance payable to the Class I, II, III & IV employees from July, 2019 to September, 2019 based on the increase/decrease in AICPI quarterly index average of 126/198 to which the revised scales of pay are related, is given here below:

श्रेणी Class	अवधि Period		त्रैमासिक औसत प्वॉइंट्स Three monthly average points	डी.ए. के लिए गणना किए जानेवाले प्वॉइंट्स की कुलसंख्या Total No. of points to be counted for D.A	100% न्यूट्रलाइजेशन डी.ए. की % % of D.A. on 100% neutralization
	From	To			
प्रथम व द्वितीय श्रेणी अधिकारी Class I & II Officers	01/07/2019	30/09/2019	312	186	147.62%
तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारि Class III & IV employees	01/07/2019	30/09/2019	312	114	57.58%

- डी. ए. की उपरोक्त दरें पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को एआईसीपीआई 126/198 पर लागू होंगे।
The above rates of D.A. are also applicable to pensioners/family pensioners on AICPI 126/198.
- यह अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of the Chairman.


9/7/19

वित्तिय सलाहकार व
मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी)

सेवा में,

सभी विभागाध्यक्ष/ एमपीटी

प्रतिलिपि:-

- 1) अध्यक्ष के पटल हेतु
- 2) उपाध्यक्ष के पटल हेतु
- 3) आरएपी/एमपीटी